भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 490

उत्तर देने की तारीख- 06/02/2023

आंध्र प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान

†**490. श्री पोचा ब्रहमानंद रेड्डी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) समग्र शिक्षा अभियान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) आंध्र प्रदेश में योजना के तहत कितने जिले शामिल किए गए हैं;

(ग) योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है और राज्य में अब तक हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान योजना के तहत तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जिला-वार कितनी निधियां जारी की गई हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(**क**): पूरे देश में शिक्षा की पहुंच, बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता में सुधार के लिए समग्र शिक्षा की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- पूर्व-प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलने/उन्नयन के लिए प्रावधान द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को सार्वभौमिक बनाना और मौजूदा स्कूलों को मजबूत करना ।
- स्कूल से बाहर के बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए सहायता।
- प्रारंभिक स्तर पर सभी बच्चों के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकों और सभी लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल लड़कों के लिए मुफ्त वर्दी का प्रावधान, जिसमें ब्रिजिंग सामग्री के साथ आदिवासी भाषाओं के लिए प्राइमर/पाठ्यपुस्तकें शामिल हैं।
- पहाड़ी इलाकों, छोटे और कम आबादी वाले क्षेत्रों में बिना वयस्क सुरक्षा वाले बच्चों के लिए जिन्हें आश्रय और देखभाल की आवश्यकता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय नामक आवासीय विद्यालय/छात्रावास ।
- समग्र प्रगति कार्ड (एचपीसी), खेल अनुदान, पुस्तकालय अनुदान, समग्र स्कूल अनुदान, शिक्षक प्रशिक्षण, टीईआई के सुदृढ़ीकरण आदि जैसे गुणात्मक और अभिनव हस्तक्षेपों का प्रावधान।

- सहायता एवं उपकरणों, शिक्षण सामग्री, गृह आधारित शिक्षा आदि के लिए सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त एवं स्थानीय निकाय के विद्यालयों में पढ़ने वाले विशेष आवश्यकता वाले प्रति बच्चे को 3500 रुपये प्रति वर्ष तक का प्रावधान।
- सरकारी स्कूलों के साथ-साथ सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को भी व्यवसायिक शिक्षा के तहत सहायता और अनुदान/नौकरियां/ नामांकन व मांग से जुड़े सेक्शन।

- डिजिटल बोर्ड, आभासी कक्षाओं और डीटीएच चैनलों के लिए सहायता सहित आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासरूम का प्रावधान।
- अधिनियम की धारा 12(1) (ग) के तहत प्रतिपूर्ति सहित आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता।

(ख): आंध्र प्रदेश राज्य के सभी जिले समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत कवर हैं।

(ग): 2022-23 में समग्र शिक्षा के तहत प्रमुख कार्यकलापों में निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का विवरण अनुलग्नक में संलग्न है।

(घ): समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा तय निधि वितरण ढांचा के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, वार्षिक योजनाएँ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाती हैं और यह उनके संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) प्रस्तावों में परिलक्षित होता है। योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों और पहले स्वीकृत कार्यकलापों के लिए राज्य की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन/अनुमान लगाया जाता है, । इसके अलावा, समग्र शिक्षा के वित्तीय प्रबंधन और खरीद (एफएमपी) नियमावली के तहत निर्धारित लेखापरीक्षित खातों, उपयोगिता प्रमाण पत्र, भौतिक और वित्तीय प्रगति और अन्य दस्तावेजों को जमा प्रस्तुत के आधार पर धनराशि जारी की जाती है।

पिछले 3 वर्षों में समग्र शिक्षा के तहत आंध्र प्रदेश राज्य को जारी की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये लाख में)

समग्र शिक्षा के तहत आंध्र प्रदेश को जारी केंद्रीय राशि				
वर्ष	प्रारंभिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा	शिक्षक शिक्षा	कुल
2020-21	72980.07	13787.9	207.12	86975.09
2021-22	46053.72	22052.35	195.29	68301.36
2022-23*	67478.04	18870.89	391.55	86740.48*

स्रोत: एसएसए, शिक्षा मंत्रालय

* 01-02-2023 तक केंद्रीय राशि

*****

<u>अनुलग्नक</u>

'आंध्र प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी द्वारा दिनांक 06.02.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 490 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यकलाप	2022-23 में स्वीकृत अनुमानित परिव्यय	दिसम्बर,2022 तक व्यय
1	वार्षिक अनुदान	193.82	42.37
2	बीआरसी/सीआरसी	197.23	124.73
3	मुफ्त पाठ्यपुस्तक	107.23	62.20
4	फ्री यूनिफॉर्म	209.19	102.34
5	केजीबीवी (आवर्ती लागत)	395.56	177.34
6	कार्यक्रम प्रबंधन	103.56	51.86
7	नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय / छात्रावास	6.49	1.05
8	शिक्षक शिक्षकों (टीईआई) के लिए वित्तीय सहायता	2.67	2.67
9	शिक्षकों के लिए वित्तीय सहायता	465.06	426.47
10	व्यावसायिक शिक्षा (आवर्ती लागत)	78.81	6.11
11	बुनियादी ढांचे का विकास	846.32	25.84
12	परिवहन और एस्कॉर्ट सुविधा	24.25	0.10
13	सीडब्ल्यूएसएन के लिए प्रावधान	70.95	3.31
14	अन्य एनआर गतिविधियां	23.73	0.00
15	विशेष प्रशिक्षण	35.75	2.94
16	निपुण भारत मिशन	68.84	2.77
17	गुणवत्ता के लिए कोष (एलईपी, नवाचार, मार्गदर्शन आदि)	126.73	18.29
18	आईसीटी	397.74	0.00
19	इन-सर्विस टीचर्स और हेड मास्टर्स के लिए प्रशिक्षण	1.74	0.00
20	सामुदायिक सहभागिता	20.25	0.00
21	अन्य गतिविधियां	66.38	1.23
22	प्रारंभिक बालपन की देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) (आवर्ती)	11.48	0.19
23	राष्ट्रीय आविष्कार अभियान	14.17	0.00
कुल		3467.95	1051.82

*****